न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 08/2020

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
श्री धरमा पुत्र जेठा जी, जाति– भील, निवासी– खाम्बल, तह. व जिला– सिरोही

''प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970''

उपस्थितिः
1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 18 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी, जाति– भील, निवासी– खाम्बल के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी, जाति– भील, निवासी– खाम्बल को ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल के खसरा संख्या 1158 में रकबा 0.7100 बीघा किस्म बारानी–I भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर (जिसमें अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा हिस्सा 35/71) हुआ था। उक्त भूमि का पुराना खसरा संख्या 960 रकबा 2.04 बीघा था। खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2058–2060 तक के अनुसार अप्रार्थी द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नही की है व न ही कब्जा है। मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पर अंग्रेजी बबूल खड़े है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिये अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी भील, निवासी– खाम्बल को ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल के पुराने खसरा संख्या 960 में रकबा 2.04 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1158 रकबा 0.7100 हेक्टेयर में अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा भील, निवासी– खाम्बल का 35/71 हिस्सा बतौर गैर खातेदार दर्ज है। यह कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा काश्त नही की गई है व न ही अप्रार्थी का कब्जा है। मौके पर अंग्रेजी बबूल खड़े है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है, इसलिये अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा भूमि आवंट[illegible]भूमि पर काश्त करता आ रहा है। वर्ष 2020 में बरसात नही होने व को[illegible] बी[illegible]री के कारण काश्त नही कर सका था एवं उसके बाद शरद ऋ[illegible] के बाद अक्टूम्बर माह में बोया था तथा वर्ष 2021–20[illegible]साती व सर्दियों की [illegible]ल लगातार [illegible]पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी अपने परिवार का लालन पालन उक्त भूमि पर काश्त करके फसल से होने वाली आय से कर रहा है। वर्ष 2020 में बरसात नही होने से जुलाई माह में फसल नही बो पाया था, जबकि अक्टूम्बर माह में राईडा की फसल बोई थी। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352—356 में अंकित तथ्यों के अनुसार बहस करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन होने पर कब्जा सुपर्द कर दिये जाने से ही आवंटित भूमि पर आवंटिती का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विगत कुछ वर्षो में कम बरसात होने के कारण व कोरोना के कारण उक्त भूमि पर काश्त नही हो सकी जिससे कुछ वर्षो की खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि में काश्त नही होना बताया गया है। अप्रार्थीया द्वारा आवंटन शर्तो का कोई उल्लंघन नही किया है। आवंटित भूमि मौके पर समतल व काश्त योग्य है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी, जाति— भील, निवासी— खाम्बल को ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल के पुराने खसरा संख्या 960 में रकबा 2.04 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 1158 रकबा 0.7100 हेक्टेयर है (जिसमें अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा हिस्सा 35/71 बतौर गैर खातेदार दर्ज है)। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 838 दिनांक 05.10.2001 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी, जाति— भील के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि ''खसरा गिरादावरी की नकल संवत 2058—2060 तक के अनुसार अप्रार्थी द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नही की है व न ही कब्जा है। मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पर अंग्रेजी बबूल खड़े है। जबकि अप्रार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है लेकिन वर्ष 2020 में बरसात नही होने व कोरोना बीमारी के कारण काश्त नही कर सका था तथा शरद ऋतु की फसल राईडा श्राद पक्ष के बाद अक्टूम्बर माह में बोया था तथा वर्ष 2021—2022 व 2023 में बरसाती व सर्दियों की फसल लगातार काश्त करता आ रहा है।''

प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ केवल संवत 2058—2061 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है, लेकिन वर्ष 2062 से 2080 की खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में, केवल मात्र संवत 2058—2061 की खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का यह कथन माना जाने योग्य नही है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी भील, निवासी— खाम्बल का कब्जा—काश्त नही हो। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का, खाम्बल की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.9.2020 प्रस्तुत की गई है, लेकिन पटवारी हल्का, खाम्बल द्वारा दिनांक 10.9.2020 को अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी भील की अनुपस्थिति में मौका देखा गया है तथा इस मौका फर्द रिपोर्ट में पटवारी हल्का, खाम्बल द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा—काश्त नही होने का तथ्य केवल मात्र क्यास के आधार पर अंकित किया है, जो माना जाने योग्य नही है। जबकि अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में मौके के फोटोग्राफस् प्रस्तुत किये गये, जिसमें भूमि समतल व काश्त योग्य प्रतीत हो रही है तथा इस भूमि पर राईडा की फसलें भी खडी है। इस प्रकार, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही यह साबित करने में असफल रहे है कि आवंटिती/अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा—काश्त नही हो। अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352—356

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही* सत्यमेव जयते

में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित भूमि पर यदि बरसात के अभाव में कभी कभी 2—4 वर्षो में लगातार काश्त नही हो पाती है व इसी आधार पर यदि गिरदावरी में भी कोई काश्त दर्ज नही होती है तो इससे आवंटिती के अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर काश्त योग्य भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी धरमा पुत्र जेठा जी, जाति— भील, निवासी— खाम्बल को खातेदारी अधिकारी दिये जाने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 जनवरी, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested